



2026:AHC:161907

14.07.2026 को सुरक्षित

04.08.2026 को प्रदत्त

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
आपराधिक अपील संख्या - 2746/1983

बाल करन

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: एस.ए. शाह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस.ए. शाह तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम मौर्य को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह आपराधिक अपील अभियुक्त-अपीलार्थी **बाल करन** द्वारा तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा सत्र विचारण संख्या 153/1983 (राज्य बनाम मंगत और अन्य) में, जो मुकदमा अपराध संख्या 739/1983, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर से उद्भूत हुआ है, पारित दिनांक 14.10.1983 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को, सह-अभियुक्त मंगत के साथ, धारा 363 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और दो वर्ष के कठोर कारावास तथा रु. 100/- के शास्ति से दंडादिष्ट किया गया, तथा शास्ति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का भुगतान न करने के व्यतिक्रम में उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताना होगा, इसके अतिरिक्त उसे धारा 366 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और चार वर्ष के कठोर कारावास तथा रु. 500/- के शास्ति से दंडादिष्ट किया गया, तथा शास्ति का भुगतान न करने के व्यतिक्रम में उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताना होगा।

3. प्रारंभ में ही यह उल्लिखित किया जाए कि धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप केवल सह-अभियुक्त मंगत के विरुद्ध विरचित किया गया था, और उक्त सह-अभियुक्त को पृथक्तः उसके अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा छह वर्ष के कठोर कारावास और रु. 1,000/- के शास्ति से दंडादिष्ट किया गया, तथा शास्ति का भुगतान न करने के व्यतिक्रम में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास। सह-अभियुक्त मंगत ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, और वर्तमान अपील, जो केवल अभियुक्त-अपीलार्थी बाल करन द्वारा प्रस्तुत की गई है, धारा 363 और 366 भा.द.सं. के अंतर्गत उसके विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश तक सीमित है।

4. अभियोजन का वाद, संक्षेप में, यह है कि अभियुक्तगण मंगत और बाल करन ग्राम सियाऊ में पी.डबल्यू.1 जसवंत सिंह के समान मोहल्ले में निवास करते थे और उनके परिवार के साथ आना-जाना रखते थे। दिनांक 14.2.1983 को, लगभग प्रातः 11.30 बजे, पीड़िता, जसवंत सिंह की नाबालिग पुत्री, आयु लगभग 16-17 वर्ष, अपने मुंह के छालों की दवा लेने चांदपुर बाजार गई। जैसे ही वह चांदपुर पहुंची, अभियुक्तगण मंगत और बाल करन उससे मिले और यह प्रस्तुत किया कि उनके गांव में एक अच्छा डॉक्टर उपलब्ध है जो बेहतर उपचार देगा। अभियुक्त मंगत ने आगे उससे कहा कि उसके पिता ने उससे उसके चिकित्सा उपचार का प्रबंध करने को कहा है। इस प्रस्तुतीकरण पर विश्वास करते हुए, पीड़िता अभियुक्तगण के साथ चली गई। चांदपुर कस्बे के बाहर, अभियुक्तगण ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया और खेतों से होते हुए उसे गजरौला रेलवे स्टेशन ले गए, तत्पश्चात उसे कई दिनों तक रेलवे प्लेटफार्म पर तथा अन्य स्थानों पर रखा। यह अभिकथित है कि दिनांक 21.2.1983 और 22.2.1983 के मध्य, अभियुक्त मंगत पीड़िता को पैदल बृजघाट ले गया और, रास्ते में तथा वहां की एक धर्मशाला में, उसका बलात्संग किया। जब अभियुक्ती घर नहीं लौटी, तब उसके पिता, पी.डबल्यू.1 जसवंत सिंह ने उसकी खोज चांदपुर, गजरौला और संबंधियों के घरों पर की। दिनांक 21.2.1983 को, उन्हें राजाराम और धर्मवीर (जिनकी परीक्षा पी.डबल्यू.3 के रूप में की गई) से यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने पीड़िता को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्तगण मंगत और बाल करन के साथ जाते देखा था, जिस पर उन्होंने उसी दिन पुलिस चौकी शुगर मिल, चांदपुर में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। दिनांक 22.2.1983 को, उप निरीक्षक प्रहलाद सिंह यादव (पी.डबल्यू.8) ने, जसवंत सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ, अभियुक्त-अपीलार्थी बाल करन को बागरपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया। यह अपीलार्थी द्वारा दी गई सूचना पर था कि मंगत पीड़िता को बृजघाट की ओर ले गया है, कि पुलिस दल वहां गया और, जनपद गाजियाबाद के बृजघाट स्थित खजानोवाली की एक धर्मशाला की छत से, अभियुक्त मंगत के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया, जिसे उसी स्थान पर गिरफ्तार किया गया। पीड़िता की सलवार को कब्जे में लिया गया, बरामदगी फ़र्द तैयार किए गए, और उसका चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 22.2.1983 को राजकीय महिला चिकित्सालय, चांदपुर में डॉ. प्रतिभा अग्रवाल (पी.डबल्यू.2) द्वारा किया गया, जिन्होंने उसकी आयु 16 से 17 वर्ष के मध्य आंकी और यह अभिलिखित किया कि हाइमन अनियमित किनारों के साथ फटा हुआ था, यद्यपि योनि स्मीयर में शुक्राणु के लिए ऋणात्मक रिपोर्ट दी गई।

5. साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 363 और 366 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किए, तथा अभियुक्त मंगत के विरुद्ध धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत एक अतिरिक्त आरोप विरचित किया। दोनों अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष होने का अभिवाक् किया।

6. अभियोजन ने आठ साक्षियों की परीक्षा की, अर्थात् जसवंत सिंह (पी.डबल्यू.1), डॉ. प्रतिभा अग्रवाल (पी.डबल्यू.2), धर्मवीर (पी.डबल्यू.3), पीड़िता (पी.डबल्यू.4), आरक्षी जसवंत सिंह (पी.डबल्यू.5), अजय कुमार (पी.डबल्यू.6), डॉ. विजय कुमार गोयल (पी.डबल्यू.7) और उप निरीक्षक प्रहलाद सिंह यादव (पी.डबल्यू.8)।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय पर तथ्यों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर आक्षेप किया कि एफ.आई.आर. विलंबित प्रक्रम पर पंजीकृत की गई थी। नाबालिग के विरुद्ध बलात्संग और व्यपहरण कारित करने का मुख्य अभिकथन केवल अभियुक्त मंगत का है, अभियुक्त बाल करन की कोई विनिर्दिष्ट और पृथक भूमिका नहीं है और वह वर्तमान में लगभग 70 वर्ष का है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, अभियुक्त बाल करन को दिया गया अधिकतम दंडादेश केवल चार वर्ष का है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पी.डबल्यू.4, पीड़िता ने पी.डबल्यू.1, जसवंत सिंह के विधिक संरक्षण से उसे प्रलोभित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट और पृथक भूमिका का कथन नहीं किया है।

8. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने, संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने पर, सह-अभियुक्त मंगत के साथ अपीलार्थी को धारा 363 और 366 भा.द.सं. के अंतर्गत सम्यक् रूप से दोषसिद्ध किया, क्योंकि अपीलार्थी को प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा मंगत के साथ पीड़िता को लेकर जाने वाले के रूप में नामित किया गया था, और वह उस समय उपस्थित था जब पीड़िता को अभियुक्तगण के साथ जाने के लिए प्रेरित करने हेतु मिथ्या प्रस्तुतीकरण किया गया था।

9. प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.02.1983 को दर्ज कराई गई थी, जबकि घटना अभिकथित रूप से दिनांक 14.2.1983 को घटित हुई थी, लगभग सात दिनों का विलंब, जो संतोषजनक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप केवल सह-अभियुक्त मंगत के विरुद्ध विरचित किया गया था; अभियुक्त-अपीलार्थी बाल करन के विरुद्ध बलात्संग का कोई आरोप कभी विरचित नहीं किया गया, न ही बलात्संग का कोई अभिकथन किया गया। अपीलार्थी को अभियुक्तगण की संगति में पीड़िता की उपस्थिति से जोड़ने वाला एकमात्र साक्ष्य साक्षियों राजाराम और धर्मवीर का है, जिन्होंने यह अभिकथन किया कि उन्होंने पीड़िता को अंतिम बार दोनों अभियुक्तों के साथ देखा था। तथापि, धर्मवीर, जिनकी परीक्षा पी.डबल्यू.3 के रूप में की गई, धारा 363 या 366 भा.द.सं. के अंतर्गत किसी अपराध के कारित होने के साक्षी नहीं हैं; उन्होंने केवल इतना गवाही दी कि उन्होंने तीनों को साथ जाते हुए देखा था, वह भी एक ही बार देखे जाने के आधार पर।

10. पी.डबल्यू.1 जसवंत सिंह ने स्वयं गवाही दी है कि अपीलार्थी बाल करन को बागरपुर रेलवे स्टेशन पर दिनांक 22.02.1983 को गिरफ्तार किया गया था, और यह तत्पश्चात, अपीलार्थी द्वारा दी गई सूचना पर था, कि पुलिस बृजघाट गई और सह-अभियुक्त मंगत को गिरफ्तार किया, धर्मशाला की छत से उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद करते हुए। अपीलार्थी, अतः, पीड़िता की बरामदगी और सह-अभियुक्त मंगत की गिरफ्तारी के समय और स्थान पर उपस्थित नहीं था। विवेचना अधिकारी द्वारा बागरपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां अपीलार्थी गिरफ्तार किया गया था, उस स्थान के संबंध में कोई स्थल का नक्शा-नज़री तैयार नहीं किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. डॉ. प्रतिभा अग्रवाल (पी.डबल्यू.2) के चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से अधिक किंतु 17 वर्ष से कम आंकी गई, और यह भी पाया गया कि वह मैथुन की अभ्यस्त थी, हाइमन पहले से ही विदीर्ण था। पीड़िता (पी.डबल्यू.4) ने स्वयं गवाही दी कि जब वह चिकित्सा उपचार के लिए चांदपुर पहुंची, तब दोनों अभियुक्तगण मंगत और बाल करन उससे मिले, परंतु यह अभियुक्त मंगत अकेला था जिसने उससे पूछा कि वह कहां जा रही है और जिसने सुझाव दिया कि उसके गांव में एक बेहतर डॉक्टर उपलब्ध है; यह मंगत ही था जिसने आगे उससे कहा कि उसके पिता ने उसे उसके चिकित्सा उपचार का प्रबंध करने का निर्देश दिया है। अपीलार्थी बाल करन केवल इस अवसर पर उपस्थित था और मंगत तथा अभियोक्त्री के साथ गया। यह चांदपुर कस्बे के बाहर था कि अभियुक्तगण ने चाकू दिखाया और पीड़िता को शोर मचाने पर मार डालने की धमकी दी; अपीलार्थी के कब्जे से कोई चाकू अथवा अन्य हथियार कभी बरामद नहीं हुआ, न ही उसकी गिरफ्तारी के स्थान के संबंध में कोई स्थल का नक्शा-नज़री तैयार किया गया। अभियोक्त्री ने कथन किया कि अपीलार्थी बाल करन उसकी बरामदगी से एक दिन पूर्व लौट गया था, और यह सह-अभियुक्त मंगत अकेला था जिसने गन्ने के खेत में तथा अन्य स्थानों पर उसका बलात्संग किया। पीड़िता ने आगे कथन किया कि वह लगभग आठ दिनों तक जंगल में सह-अभियुक्त मंगत के साथ अकेली रही, रात्रि में रेलवे प्लेटफार्म पर सोती थी और दिन में जंगल में रहती थी; उसने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि अपीलार्थी बाल करन इस अवधि के दौरान निरंतर उसकी संगति में रहा।

12. घटना दिनांक 14.02.1983 को घटित हुई कथित है, जबकि पीड़िता की बरामदगी केवल दिनांक 22.02.1983 को, सात से आठ दिन पश्चात हुई, और आरोप स्वयं यह अभिकथित करता है कि बलात्संग सह-अभियुक्त मंगत द्वारा दिनांक 14.02.1983 और 22.02.1983 के मध्य किसी समय कारित किया गया, एक ऐसी अवधि जिसके दौरान, अभियोक्त्री के अपने कथनानुसार, वह केवल मंगत की संगति में रही। पीड़िता (पी.डबल्यू.4) के विनिर्दिष्ट अभिकथन, बलात्संग के कारित होने तथा मध्यवर्ती सप्ताह के दौरान सहवास दोनों के संबंध में, केवल सह-अभियुक्त मंगत के विरुद्ध निर्दिष्ट हैं। पी.डबल्यू.4 की गवाही के निष्पक्ष पठन पर, धारा 363 और 366 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध गठित करने वाले मूल तत्व, अर्थात्, आशय सहित नाबालिग को विधिक संरक्षण से ले जाना और दूर रखना, सह-अभियुक्त मंगत को आरोप्य हैं, जिसने अकेले डॉक्टर के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया और जिसने अकेले पीड़िता को उसके साथ जाने के लिए प्रेरित करने हेतु उसके पिता के प्राधिकार का मिथ्या आह्वान किया। विवेचना अधिकारी घटनास्थल का समुचित अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नक्शा-नज़री तैयार करने में विफल रहा और सारवान साक्षियों की परीक्षा विलंबित प्रक्रम पर की, जो अभियोजन के वाद को और कमजोर करता है।

13. यह सुस्थापित है कि धारा 363 और 366 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, अभियोजन को यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्त ने नाबालिग को उसके विधिक संरक्षक की अभिरक्षा से, सहमति के बिना, अपेक्षित आशय के साथ, ले गया अथवा प्रलोभित किया। अभियोक्त्री (पी.डबल्यू.4) की गवाही के सूक्ष्म पठन पर, प्रलोभन, उसके अपने कथनानुसार, सह-अभियुक्त मंगत द्वारा प्रारंभ और कार्यान्वित किया गया था, जिसने उससे प्रस्तुत किया कि उसके गांव में एक बेहतर डॉक्टर उपलब्ध है और जिसने उसके पिता की स्वीकृति का मिथ्या आह्वान किया। अपीलार्थी बाल करन को सौंपी गई भूमिका एक दर्शक की है जो उपस्थित था और जो उस अवसर पर मंगत और पीड़िता के साथ गया, प्रलोभन में अथवा पीड़िता के स्थान-स्थान पर पश्चातवर्ती परिरोध और संचलन में उसे वैयक्तिक रूप से कोई विनिर्दिष्ट प्रकट कृत्य अभिनिर्देशित किए बिना।

14. यह सुसंगत है कि अभियोक्त्री ने चाकू की धमकी सहित बलात परिरोध के कृत्यों तथा पश्चातवर्ती बलात्संग कारित किए जाने दोनों को संगत रूप से केवल सह-अभियुक्त मंगत को अभिनिर्देशित किया है, और कथन किया है कि वह लगभग आठ दिनों तक केवल मंगत के साथ रही, इस अवधि के दौरान अपीलार्थी के निरंतर उसकी संगति में रहने का कोई अभिकथन किए बिना। वस्तुतः, उसकी अपनी गवाही यह इंगित करती है कि अपीलार्थी उसकी बरामदगी से केवल एक दिन पूर्व लौटा। यह उस तथ्य के अनुरूप है, जिसकी गवाही स्वयं पी.डबल्यू.1 जसवंत सिंह ने दी है, कि अपीलार्थी को बागरपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था और वह उस समय उपस्थित नहीं था जब पुलिस, उसके द्वारा दी गई सूचना पर कार्य करते हुए, बृजघाट गई और सह-अभियुक्त मंगत से पीड़िता को बरामद किया। अपीलार्थी की गिरफ्तारी के स्थान के किसी नक्शे-नज़री का अभाव, उससे किसी हथियार की बरामदगी का अभाव, तथा विवेचना अधिकारी की ओर से विलंबित और अपर्याप्त विवेचना, अपीलार्थी के विरुद्ध अभिवचित वाद की विश्वसनीयता को और कम करती है। मामले पर समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए, यह न्यायालय इस सुविचारित अभिमत का है कि अभियोजन अभियुक्त-अपीलार्थी बाल करन के विरुद्ध धारा 363 और 366 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराधों के तत्वों को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है, और यह कि उसे संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. उपर्युक्त कथित कारणों से, अपील **स्वीकार** की जाती है। अभियुक्त-अपीलार्थी बाल करन की धारा 363 और 366 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि और दंडादेश, जैसा तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा एस.टी. संख्या 153/83 में दिनांक 14.10.1983 के निर्णय और आदेश द्वारा अभिलिखित है, अपास्त की जाती है।

16. अपीलार्थी **बाल करन** को धारा 363 और 366 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है, और वह जमानत पर है, उसके जमानतनामे और प्रतिभू उन्मुक्त समझे जाते हैं। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि वह अभिरक्षा में है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए, जब तक कि वह किसी अन्य वाद में अपेक्षित न हो।

17. विचारण न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की एक प्रति सहित सूचना और आवश्यक अनुपालन हेतु विचारण न्यायालय को 'तत्काल' वापस भेजा जाए।

18. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के माध्यम से दो दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय को संसूचित करें।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

4 अगस्त, 2026

आशा